

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
2, जल पथ, गांधी नगर जयपुर

क्रमांक : एफ.1(1)( )स्था/आईसीडीएस/ 134018

जयपुर, दिनांक : 01/08/18

आदेश

निम्नलिखित बाल विकास परियोजना अधिकारियों/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक दृष्टि से उनके नाम के सम्मुख स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन (परियोजना)	नवीन पदस्थापन स्थान (परियोजना)	विशेष विवरण
1	श्री महेशचन्द गुप्ता	बाविपअ	अलवर शहर	कोटकासिम (अलवर)	रिक्त पद पर
2	श्री प्रदीप घिलोटिया	बाविपअ	स्थानान्तर्णाधीन कोटपुतली (जयपुर)	बानसूर (अलवर)	रिक्त पद पर
3	श्रीमती कचरी अहारी	बाविपअ	बांसवाडा (शहर)	गढी (बांसवाडा)	रिक्त पद पर
4	श्रीमती रेखा दशोरा	बाविपअ	तलवाडा (बांसवाडा)	बांसवाडा(शहर)	श्रीमती कचरी अहारी के स्थान पर
5	श्रीमती साजिदा बेगम	बाविपअ	हिण्डोली (बूंदी)	केशोरायपाटन (बूंदी)	रिक्त पद पर
6	सुश्री मेघा	सहा. बाविपअ	मालपुरा (टोंक)	कोटपुतली (जयपुर)	श्री प्रदीप कुमार घिलोटिया के स्थान पर बाविपअ के पद के विरुद्ध
7	सुश्री रतन वर्मा	बाविपअ	शिवगंज स्थानान्तरणाधीन, सिरौही	पीपलखूट (प्रतापगढ)	रिक्त पद पर
8	श्री जितेन्द्र मीना	सहा. बाविपअ	कुम्भलगढ (राजसमन्द)	टोडारायसिंह (टोंक)	बाविपअ के रिक्त पद के विरुद्ध
9	श्रीमती रेनुबाला	बाविपअ	संगरिया (हनुमानगढ)	टिब्बी (हनुमानगढ)	रिक्त पद पर
10	श्री शैलेश कुमार	सहा. बाविपअ	डीग (भरतपुर)	राजाखेडा (धौलपुर)	बाविपअ के रिक्त पद के विरुद्ध
11	श्री जगदीश प्रसाद मीणा	बाविपअ	अलीगढ (टोंक)	छीपाबडौद (बारां)	रिक्त पद पर

अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनुभाग-1) विभाग के आदेश दिनांक 31-7-2018 के क्रम में जो कार्मिक फोटोयुक्त मतदान सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुडे है, उक्त कार्मिकों पर यह आदेश वर्णित कार्य पूर्ण होने तक प्रभावी नहीं होगा।

उक्त आदेश को कार्यमुक्ति आदेश मानते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवपदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
निदेशक


समेकित बाल विकास सेवाएं  
राज. जयपुर।

क्रमांक : एफ.1(1)( )स्था/आईसीडीएस/ 139019-058

जयपुर, दिनांक : 01/08/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- (1) विशिष्ट सहायक, माननीया राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
- (2) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
- (3) निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
- (4) जिला कलक्टर .....
- (5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, .....
- (6) निदेशालय के समस्त अधिकारीगण।
- (7) सम्बन्धित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्ति कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट 3 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावें।
- (8) बाल विकास परियोजना अधिकारी .....
- (9) सम्बन्धित श्री/श्रीमती/सुश्री .....
- (10) आदेश पत्रावली।

  
उप निदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर